तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 86/2023 जीसीएमएस : 2023/101 नारदानंद बनाम नगरपालिका श्रीविजयनगर नजरसानी प्रार्थना पत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
24.10.2024	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की एडमिशन बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक/एफ24(3)(131) पंचायत/शि/69/284 दिनांक 19.01.1970 के विरूद्ध यह रिव्यु प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 03.02.2020 को पेश की है। प्रार्थी द्वारा जिस आदेश दिनांक 19.01.1970 को रिव्यु करने हेतु आवेदन पेश किया है उसकी प्रति पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की है इसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय रिपोर्ट से भी होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा 50 वर्ष की अवधि के पश्चात यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 व 14 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर नजरसानी परिसीमा को प्रस्तुत करने की दिनांक तक विस्तारित करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय मा. अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के प्र.सं. 04/17 नारदानंद बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर नि.दि. 04.01.2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पैरा सं. 12 में तनकी सं. 1 का निर्णय करते समय यह अंकित किया है कि "सरपंच ग्राम पंचातय, श्रीविजयनगर द्वारा दिनांक 19.10.1969 को अपीलार्थी/वादी को के–ब्लॉक के भूखण्ड सं. 64 का आवंटन कर वादी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया जो तत्कालीन सरपंच द्वारा आवंटित किया गया था। तदोपरांत जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत, श्रीविजयनगर के वर्ष 1969 के उक्त आवंटन आदेश को विधि विरूद्ध होने पर अपने आदेश क्रमांक/एफ/23(3) 161/पंचायत सी/69/284 दिनांक 19.01.1970 द्वारा निरस्त कर दिया गया और इसकी सूचना दिनांक 27.01.1970 को वादी को भी दी गई। इसके पश्चात ग्राम पंचायत श्रीविजयनगर के नगरपालिका श्रीविजयनगर में परिवर्तित होने पर नगरपालिका श्रीविजयनगर के द्वारा भी वादी को उक्त आवंटन के निरस्त होने बाबत एक नोटिस क्रमांक 233 दिनांक 24.04.1991 को प्रेषित किया गया। इस प्रकार वादी को उक्त आवंटन निरस्ती की सूचना होने के बावजूद भी अपीलार्थी ने जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के उक्त निरस्ती आदेश के विरूद्ध कोई अपील किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष नहीं की।" इसके अलावा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा भी साबित नहीं माना है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी को आलौच्य आदेश का ज्ञान होने के बाद भी उनके द्वारा निश्चित समयावधि में आवेदन नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी की यह प्रार्थना भी स्वीकार्य नहीं है। प्रकरण में प्रश्नगत भूखण्ड वर्तमान में नगरपालिका श्रीविजयनगर के क्षेत्राधिकार में है जिसे स्वयं प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 के द्वारा प्रत्येक संभाग के सम्भागीय आयुक्त को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः प्रकरण न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस आदेश को रिव्यु किये जाने की प्रार्थना की जा रही है उसकी प्रति भी पेश नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नजरसानी(रिव्यू) इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अवधेश मीना) I.A.S. जिला कलक्टर अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)